

निर्णय

10.9.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/136

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
रामप्रसाद बनाम ओमप्रकाश आदि

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 200 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
16.05.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 22.05.2024 को पेश हो।	
22.5.2024	<p>कृलाए कसकन उपास्थत/PU माह १६६६६६ फौलो है। पत्रावली २२.०५.२०२४ गस्त तत्व २२.०५.२०२४ ने पेश हो</p>	
22.7.2024	<p>कृलाए कसकन उपास्थत/PU माह ६६६६६६ फौलो है। पत्रावली २६.०९.२०२४ गस्त तत्व २६.०९.२०२४ ने पेश हो</p>	
22.9.2024	<p>वकील वकी ने प्रार्थना-का सिविल पेसी पेश करने पर प्रजावनी को पेसी में लिया गया कुकुलाए परिकेन उपखण्ड। वकी क प्रकीवरी ला ताउने दारिजट अफकत अफर राजीनामा पेश बिग लि से काउ त सीड वरिल फरिल बिग गण प्रजावनी आसे स्टे अफकत सीड तारीफ १६-९.२०२४ को पेश हो।</p>	<p>रामप्रसाद ओमप्रकाश धर्मपाल शामनई</p>
10.9.2024	<p>कुकुलाए परिकेन उपखण्ड। स्टे अफकत प्रफ उभा वरल सुनी गरी प्रजावनी का आवको कत बिग गण प्रजावनी पर उपखण्ड रिक्वर्ड व वकी प्रकीवरी के राजीनामा के आचां परवाद वरि दिनी बिग आरिं। वकी बिबरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाक वरिल फरिल बिग लजे प्रजावनी वरल से कत की अफर काउ त सीड वरिल अफकत दारिजट दफतर हो।</p>	<p>पह-पत्रावली वकी कृलाए</p>

सहायक कलक्टर एवं
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 200/2024 अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

रामप्रसाद पुत्र फूलाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 5 रावतसरतहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. धर्मपाल पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी पुरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. रामचन्द्र पुत्र मनफूल राम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 5 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री करणीसिंह वकील-वादी

श्री कुलदीप बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3

राजपरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक- 18-09-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश को रोही मौजा पूरबसर के खसरा संख्या 1440/479 की 1.285है0 पश्चिमी पासा की, खसरा संख्या 346 की 0.800है0 उत्तरी पासा की, खसरा संख्या 722 की 0.0750है0 (सम्पूर्ण), खसरा संख्या 723 की 0.060है0 उत्तरी पासा की, खसरा संख्या 724 की 0.098है0 उत्तरी पासा की कुल 2.298है0 भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 2 धर्मपाल को खसरा संख्या 1440/479 की 1.265है0 ओमप्रकाश के पूर्व में, खसरा संख्या 346 की 0.800है0 ओमप्रकाश के दक्षिण में, खसरा संख्या 723 की 0.136है0 ओमप्रकाश के दक्षिण में, खसरा संख्या 724 की 0.098है0 ओमप्रकाश के दक्षिण में कुल 2.299है0 भूमि का,
3. प्रतिवादी संख्या 3 रामचन्द्र को खसरा संख्या 1440/479 की 1.265है0 धर्मपाल के पूर्व में, खसरा संख्या 346 की 0.800है0 धर्मपाल के दक्षिण में, खसरा संख्या 723 की 0.136है0 धर्मपाल के दक्षिण में, खसरा संख्या 724 की 0.098है0 धर्मपाल के दक्षिण में कुल 2.299है0 भूमि का,
4. वादी रामप्रसाद को खसरा संख्या 1440/479 की 1.264है0 पूर्वी पासा की, खसरा संख्या 346 की 0.800है0 दक्षिणी पासा की, खसरा संख्या 723 की 0.136है0 दक्षिण पासा की, खसरा संख्या 724 की 0.098है0 दक्षिणी पासा की कुल 2.298है0 भूमि के खातेदार कोशतकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे। आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18-09-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर